

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

विषय- माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या-14325/IV-h-16/Admin.A-IV/3 December 2021 के प्रेषित विवरण पत्र के सम्बन्ध में-

महोदय,

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित वर्ष 2012-2013 से वर्ष 2019-2020 के मध्य वित्तीय वर्षों का प्रापर्टी स्टेटमेण्ट समय से प्रेषित न कर पाने के सम्बन्ध में ससम्मान अवगत कराना है कि मेरी प्रापर्टी स्टेटमेण्ट से सम्बन्धित पत्रावली कहीं खलत-मल्ल/गुम (Miss Place) हो गयी थी जो दूढ़ने पर नहीं मिल पा रही थी, जिससे बीते वर्षों का स्टेटमेण्ट देखे बिना अग्रिम वर्षों का स्टेटमेण्ट तैयार कर भेज पाना संभव नहीं था। इसी मध्य मार्च 2020 से कोरोना (Covid-19) का संक्रमण एवं महामारी का भारी प्रकोप रहा, श्रीमन् एक दिन अभी हाल ही में दूढ़ते-दूढ़ते उक्त पत्रावली मिल गयी जो अन्य दस्तावेजी अभिलेखों के साथ बन्धकर रख उठी थी। प्रापर्टी से सम्बन्धित पत्रावली के मिलते ही सम्पूर्ण विवरण संग्रह कर उपरोक्त अवधि का प्रापर्टी स्टेटमेण्ट श्रीमन् के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

श्रीमन्, प्रापर्टी स्टेटमेण्ट भेजे जाने में, जाने-अंजाने जो भी गलती/भूल हुयी है उसके लिए मुझ प्रार्थी को क्षमा किया जाय, प्रार्थी से अब भविष्य में ऐसी भूल नहीं होगी।

“सादर”

दिनांक-11.12.2021

भवदीय,

Bel.
11.12.2021
(विजय पाल)

विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) प्रथम/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।